

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

(Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer)

# विवरणिका

(SYLLABUS)

कक्षा 10 परीक्षा, 2024

Class-10 Examination, 2024

(परीक्षा पाठ्यक्रम तथा अंक विभाजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  
परीक्षा वर्ष 2024 के लिए मान्य है)



## कक्षा-10 (माध्यमिक) परीक्षा-2024 के लिए आवश्यक निर्देश

- विवरणिका के इस भाग में कक्षा-10 (माध्यमिक) परीक्षाए 2024 का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें, जो शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिये हैं दी गई हैं।
  - कक्षा-10 (माध्यमिक) परीक्षा के लिये निर्धारित अवधि एक वर्ष है।
  - माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा योजना आदि सम्बन्धित विनियमों में दिए गए अनुसार होंगी।
  - विषयों के शिक्षणार्थ प्रति सप्ताह निर्धारित कालांश :

विषय एवं विषय कोड संख्या	प्रश्न पत्र	समय(घंटे)	सैद्धान्तिक परीक्षा	प्रयोगिक परीक्षा	सत्रांक का विभाजन				कुल सत्रांक	योग	उत्तीर्णक
					% स्थानीय परीक्षा	प्रोजेक्ट	उपस्थिति	व्यवहार			
हिन्दी अनिवार्य (01)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	3	2	20	100	33
अंग्रेजी अनिवार्य (02)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	3	2	20	100	33
तृतीय भाषा: कोई एक संस्कृत(71) / उर्दू(72) / गुजराती(73) / सिन्धी (74) / पंजाबी(75)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	3	2	20	100	33
विज्ञान (07)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	3	2	20	100	33
सामाजिक विज्ञान (08)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	3	2	20	100	33
गणित (09)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	3	2	20	100	33
व्यावसायिक शिक्षा (कोई एक विषय) (केवल चयनित विद्यालयों में लागू)	सैद्धान्तिक	3:15	30		10	5	3	2	20	50	17
प्रायोगिक	3:00		50							50	17
राज. इति. एवं संस्कृति(79) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	सैद्धान्तिक	3:15	80		20				20	100	33
शा. एवं स्वा. शिक्षा (82) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	3	2	20	100	33
सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा—II (80) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	सैद्धान्तिक	3:15	70							70	33
प्रायोगिक			30							30	
समाजोपयोगी उत्पा. कार्य एवं समाज सेवा(81) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	अनिवार्य प्रवृत्ति 25 वैकल्पिक प्रवृत्ति 45 शिविर 30			100							
कला शिक्षा	सैद्धान्तिक 35 प्रायोगिक 45 प्रस्तुति कार्य 20			100							

नोट :-

- सत्रांक एवं सत्रीय कार्य के अंक विद्यालयों द्वारा बोर्ड को विषयवार प्रेषित किये जायेंगे।
- सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20% होंगे अर्थात् पूर्णांक 100 में से 20 अंक सत्रांक के होंगे, जिसका विभाजन इस प्रकार होगा— नियमित अभ्यर्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अद्वार्षिक एवं तीन सामयिक

परीक्षाओं के प्राप्तांकों के लिए 10 अंक, 5 अंक प्रोजेक्ट कार्य, 2 अंक व्यवहार तथा 3 अंक उपस्थिति के होंगे, जिसका विभाजन इस प्रकार होगा—

(i) उपस्थिति पर अंक निम्नानुसार दिये जा सकेंगे:-

75% से 80% तक उपस्थिति होने पर 1 अंक

81% से 85% तक उपस्थिति होने पर 2 अंक

86% से 100% तक उपस्थिति होने पर 3 अंक

(ii) 2 अंक कक्षा में सहभागिता, व्यवहार एवं अनुशासन पर देय होंगे।

(iii) सत्रांक के प्राप्तांक भिन्न में होने पर अगले पूर्णांक में परिवर्तित करें।

(iv) सत्रांकों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र में आयोजित बोर्ड की मुख्य परीक्षा तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा, जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण सत्रावधि में सत्रांकों के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जांच की जा सकती है।

(v) स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए अंकतालिका में विषयवार प्राप्तांक के 20% अंक पूर्णांक में परिवर्तित कर सत्रांक के रूप में दर्शाएं जाएंगे।

3. स्वयंपाठी अभ्यर्थी समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (S.U.P.W.), कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा-II विषयों से मुक्त रहेंगे।

4. सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा-II तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में अद्वृत्वार्थिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर पूर्णांक 100 में से विद्यालय बोर्ड को प्राप्तांक प्रेषित करेंगे। इन अंकों का उल्लेख बोर्ड द्वारा प्रदत्त अंकतालिकाओं में कर दिया जायेगा। इस विषय में प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जायेंगे।

5. सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा-II हेतु राज्य सरकार/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा जारी नवीनत म निर्देशों का अवलोकन करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें।

6. 'राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति' विषय की परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी और प्राप्तांकों को बोर्ड कार्यालय में भिजवाया जाएगा। इस हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत निर्धारित है। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने विद्यालय स्तर पर आयोजित परीक्षा में 33 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं किये हो, तो उन्हें विद्यालय स्तर पर पुनः अवसर देय होगा।

7. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा तथा कला शिक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। इस विषय के प्राप्तांकों को ग्रेड में परिवर्तित कर बोर्ड को प्रेषित करेंगे। विद्यालयों द्वारा प्रेषित ग्रेड को अंकतालिका में दर्शाया जायेगा।

8. मूक बधिर विद्यार्थियों को तृतीय भाषा की छूट रहेगी। यह छूट नियमित एवं स्वयंपाठी के लिए लागू रहेगी।

नोट:- कक्षा-10 व्यावसायिक शिक्षा-अतिरिक्त वैकल्पिक विषय की परीक्षा योजना केवल चयनित विद्यालयों में लागू है।

(i) सैद्वान्तिक परीक्षा (सत्रांक सहित) तथा प्रायोगिक परीक्षा में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ii) यदि व्यावसायिक शिक्षा विषय के प्राप्तांक सामाजिक विज्ञान विषय के प्राप्तांक से अधिक है और परीक्षार्थी ने इन दोनों विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञान के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा को 6 विषयों में शामिल करते हुए परिणाम जारी किया जा सकता है।

(iii) व्यावसायिक ट्रेड विषयों का पाठ्यक्रम एपाठ्यपुस्तकों एवं अद्यतन निर्देश/नियम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा जारी किये जाते हैं।